भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

173

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अशोकनगर

जगदीश पुत्र श्री जानकीलाल ओझा, निवासी कस्बा रेंज, डिपो रोड, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 02.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगावली इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, अतः ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि वह हितबद्ध एवं दुखित पक्षकार नहीं है। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जबकि किसी भी आदेश से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 474–एक/016 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.9.16	आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली जिला अशोकनगर का प्रकरण कमांक 09/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 2.1.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– अनावेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगावली द्वारा तहसील ग्राम पंचायत कस्वारेंज द्वार जा प्रस्ताव ठहराव कमांक –3 दिनांक 26.1.14 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 2.1.16 को अपील अपास्त की गई जिससे परिवेदित होकर आवेदक जगदीश पुत्र श्री जानकीलाल ओझा निवासी कस्बा रेंज डिपो रोड मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई हैं 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगावली इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, अतः ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था क्यों कि वह हितबद्व पक्षकार नहीं है । इस	

वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिन जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हे उसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि विवादित शासकीय भवन पिपरई रोड पर स्थित है जो ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से प्रस्ताव पारित करके किराये पर दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित शासकीय भवन जो कि खण्डहर पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग किसी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा था, और ना ही उपयोग योग्य है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय आय की वृद्वि से उक्त भवन को किराये पर देये जाने का ठहराव प्रस्ताव विधिवत रूप से पारित किया था जिससे ना केवल भवन का उपयोग होने लगा एवं ग्राम पंचायत की आय में वृद्वि हुई है, ऐसी स्थिति में जो आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से आपस्त किये जाने का निवेदन किया है।अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को न्यायदान दिया जावे।

4— अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला एवं मुंगावली एस0 डी0 ओ0 स्वयं उपस्थित होकर बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्यों कि ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अधिकारिता विहीन है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की

निगरानी अस्वीकार की जावे।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित शसकीय भवन पिपरई रोड पर स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार के विरीत ठहराव पारित किया गया जबकि ऐसा प्रस्ताव ठहराव पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं हें ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई इस्तहार जारी किया गया और न ही कोई सूचना आवेदक के कार्यालय में दी गई । उक्त भवन ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु उपयुकत हैं भवन में ग्राम पंचायत कस्वारेंज का कार्यालय खोला जा सकता है उक्त प्रस्ताव गोपनीय रूप से सांठ गांठ करके पारित किया किया गया हें जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत का रिकार्ड दिनांक 5.10.15 को तलब किये जाने पर प्राप्त हुई।

6— उपरोक्त विवेचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत ठहराव पंजी के अवलोकन से मैं पाता हू कि उक्त पंजी तत्कालीन सचिव द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रमाणित की गई है इसकी विवेचना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में की गई है। ग्राम पंचायत को शासकीय आवास किराये पर दिये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का

प्रकरण कमांक 09/2015—16/अपील में पारित आदेश दिनांक 2.1.16 स्थिगत रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य